भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2558

09.03.2026 को उत्तर के लिए

सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता

2558. श्री नवीन जिंदलः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले सीवेज की कुल मात्रा कितनी है और उसकी तुलना में सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) की स्थापित क्षमता राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) देश में सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) की कुल परिचालन क्षमता राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ग) क्या कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सीवेज शोधन संयंत्रों की पर्याप्त संख्या नहीं है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सीवेज के शोधन को अधिकतम करने और शोधित जल के पुनः उपयोग के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा इनके क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/ संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों तथा स्थानीय निकायों की सहायता से वर्ष 2020 के लिए **सीवेज शोधन संयंत्र** का सूचीकरण किया और **"भारत में सीवेज शोधन संयंत्रों की राष्ट्रीय सूची-2021"** शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की। देशभर के शहरी केन्द्रों में सीवेज उत्पादन, सीवेज उपचार हेतु स्थापित क्षमता तथा संचालित उपचार क्षमता का राज्य-वार आकलन **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

सीवेज के अधिकतम उपचार तथा उपचारित जल के पुनः उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे सुधारात्मक उपाय निम्नलिखित हैं:

• **सीपीसीबी** ने **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत सभी **एसपीसीबी/पीसीसी** को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित एजेंसियों को सीवेज उपचार हेतु अवसंरचना विकसित करने के लिए निर्देशित करने का निदेश दिया है ।

• **सीपीसीबी** ने **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** की धारा 5 के अंतर्गत 46 महानगरों और 20 राज्यों की राजधानियों के नगर निगमों को नदी की जल-गुणवत्ता के पुनस्थापन के लिए सीवेज के उपचार और उसके उपयोग के संबंध में निर्देश जारी किए।

• **सीपीसीबी** ने **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत सभी **एसपीसीबी /पीसीसी** को सीवेज शोधन संयंत्र की स्व-निगरानी के लिए **ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस)**स्थापित करने के निर्देश जारी किए।

इसके अलावा, **आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय** के **अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत)** तथा **स्मार्ट सिटीज मिशन** जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत सीवरेज अवसंरचना स्थापित की जा रही है।

अमृत के अंतर्गत ₹34,505 करोड़ की लागत से **890 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ** शुरू की गई हैं, जिनके माध्यम से **4,447 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी)** सीवेज उपचार क्षमता (नई/विस्तारित) का स्थापित की गई है, जिसमें से **1,437 एमएलडी क्षमता** रीसाइकिल /पुनः उपयोग के लिए विकसित की गई है।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा **अमृत 2.0** के अंतर्गत अब तक ₹67,607.67 करोड़ की लागत से **592 सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाओं** को मंजूरी प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजनाओं में **6,739 एमएलडी** सीवेज उपचार क्षमता (नई/विस्तार) शामिल है, जिसमें से **2,093 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता** रीसाइकिल /पुनः उपयोग के लिए है।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने **अमृत 2.0** के अंतर्गत सुधारों के तहत **"जल ही अमृत"** पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को **पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने वाले रीसाइकिल योग्य उपचारित जल** के सतत प्रबंधन हेतु **सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी)** को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल का मुख्य फोकस **क्षमता निर्माण** करना तथा उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए **प्रोत्साहन प्रदान करना** है। यह पहल जल के उपयुक्त पुनः उपयोग के अवसर उत्पन्न करने के लिए लक्षित है, जिससे मिशन के अंतर्गत **जल उपलब्धता बढ़ाकर समग्र जल सुरक्षा** के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान मिल सके।

*****

अनुलग्नक-I

भारत के शहरी केन्द्रों में राज्य-वार सीवेज सृजन और उसकी उपचार क्षमता का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीवेज सृजन (एमएलडी में)	अधिष्ठापित क्षमता (एमएलडी में)	प्रचालित उपचार क्षमता (एमएलडी में)	स्थापित क्षमता का वास्तविक उपयोग (एमएलडी में)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	0	0	0
आंध्र प्रदेश	2882	833	443	309
अरुणाचल प्रदेश	62	0	0	0
असम	809	0	0	0
बिहार	2276	10	0	0
चंडीगढ़	188	293	271	235
छत्तीसगढ़	1203	73	73	6
दादरा और नगर हवेली	67	24	24	7
गोवा	176	66	44	25
गुजरात	5013	3378	3358	2687
हरियाणा	1816	1880	1880	1284
हिमाचल प्रदेश	116	136	99	51
जम्मू और कश्मीर	665	218	93	49
झारखंड	1510	22	22	15
कर्नाटक	4458	2712	1922	1786
केरल	4256	120	114	47
लक्षद्वीप	13	0	0	0
मध्य प्रदेश	3646	1839	684	536
महाराष्ट्र	9107	6890	6366	4242
मणिपुर	168	0	0	0
मेघालय	112	0	0	0
मिजोरम	103	10	0	0
नागालैंड	135	0	0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3330	2896	2715	2412
ओडीशा	1282	378	55	50
पुदुचेरी	161	56	56	30
पंजाब	1889	1781	1601	1360
राजस्थान	3185	1086	783	478

सिक्किम	52	20	18	14
तमिलनाडु	6421	1492	1492	995
तेलंगाना	2660	901	842	706
त्रिपुरा	237	8	8	1.5
उत्तर प्रदेश	8263	3374	3224	2510
उत्तराखंड	627	448	345	187
पश्चिम बंगाल	5457	897	337	213
कुल	72368	31841	26869	20235

टिप्पणी:

(i) सीवेज उत्पादन का आकलन 185 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल आपूर्ति तथा सीवेज उत्पादन की दर 80% के आधार पर किया गया है।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए सीवेज उत्पादन का आकलन उनकी 925 एमजीडी जल आपूर्ति के 80% के आधार पर किया गया है।